कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर
जिला–बिलासपुर, (छ.ग.)

Ph07752221315
TollFreeNo-18002332521

E-mail-zp-bilaspur.cg@nic.in
mgnregabspcell17@gmail.com

क्रमांक / 1860 / MGNREGA / स्था. / 2017–18 बिलासपुर, दिनांक 09 / 03 / 2018

/ / आदेश / /

विकास आयुक्त कार्यालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ, रायपुर के पत्र कमांक / 2267 / वि–7 / **MGNREGA** / 167 / 11 रायपुर, दिनांक 01.10.2011 के प्रावधानों के अनुसार एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा जारी विज्ञापन **दिनांक 17.11.2017** में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रावीण्य सूची से आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत "तकनीकी सहायक" (संविदा) के पद पर **वर्ष 2017–18 में 28.02.2019** तक के लिये निम्नानुसार संविदा नियुक्ति कॉलम कमांक 08 में अंकित स्थान पर रूपये 23010 / –(अक्षरी तेईस हजार दस रू. मात्र) प्रतिमाह एक मुश्त वेतन पर की जाती है:–

क्र.	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	प्रवर्ग	पुरूष / महिला	पता	जिला	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंजली सिंघई	स्व.श्री सिंघई राजेश कुमार जैन	अनारक्षित	महिला	एम.आई.जी.प्रिमियम 14 / 15 राजेश कुमार जैन लक्ष्मीनिवास कालोनी लोधीपारा सरकण्डा बिलासपुर	बिलासपुर	जनपद पंचायत–कोटा
2	विपिन स्वर्णकार	श्री मुरलीधर स्वर्णकार	अनारक्षित	पुरूष	कश्यप कालोनी गली नं 03 गीतांजली नगर बिलासपुर	बिलासपुर	जनपद पंचायत–कोटा
3	श्रद्धा पटेल	आर.के.पटेल	अनारक्षित	महिला	क्वा न. 298 / एफ रिसाली सेक्टर भिलाई दुर्ग	दुर्ग	जनपद पंचायत–मस्तूरी
4	प्रियंका	श्री भगवानदीन	अपिव	महिला	डी / ओ भगवानदीन कश्यप ग्राम भाडी, पो. खैरा(डगनिया), जिला–बिलासपुर छ.ग.	बिलासपुर	जनपद पंचायत–मस्तूरी
5	जागेन्द्र सिंह	श्री जवाहर सिंह	अ.ज.जा.	पुरूष	ग्राम साल्हेडबरी, पोस्ट बांसाझाल, तह. कोटा बिलासपुर	बिलासपुर	जनपद पंचायत–मरवाही
6	धीरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री डी. एल. कानगो	अ.जा.	पुरूष	देवरिहापारा बीएसएनएल टॉवर के पास करगीरोड कोटा, बिलासपुर	बिलासपुर	जनपद पंचायत–पेण्ड्रा

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

नियम एवं शर्तें:–

1. अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः दिनांक 23/03/2018 तक कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर में देवें अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय प्रस्तुत दस्तावेज एवं सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता / त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेंगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, अनुशासन एवं अपील नियम 1966 से शासित होंगे।
4. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–9–1 / 2012 / 1–3 दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 18 दिनों की आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवा मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर की जायेगी। कलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

6. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपदान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. विभागीय सेटअप में संविदा के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के लिए निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. मे जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।
9. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
11. नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. नियुक्ति हेतु अहर्तादायी समस्त दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. पुलिस विभाग द्वारा चारित्रिक सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
14. आपके द्वारा प्रस्तुत अहर्तादायी प्रमाण पत्रों में कूटरचना प्रमाणित होने पर नियुक्ति निरस्त की जाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
15. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन ऑन–लाईन एम.आई.एस. प्रणाली पर आधारित है। अतः नियुक्त स्टाफ को शासकीय एवं सार्वजनिक अवकाश के दिवस तथा इंटरनेट सर्वर की उच्चतम प्राप्त गति के आधार पर कार्य पर उपस्थित होकर कर्तव्य निर्वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर

पृ. क्रमांक/1861 /MGNREGA/स्था./2017–18 **बिलासपुर, दिनांक 09 /03/2018**
प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल नया रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, महोदय जिला बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर को चारित्रिक सत्यापन हेतु अग्रेषित।
5. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप–संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केन्द्र, जिला .... को प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर/कोटा/गौरेला/मस्तूरी/बिल्हा/मरवाही जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधितों का कार्यभार ग्रहण करावें।
8. स्थापना शाखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला पंचायत, बिलासपुर को सूचनार्थ।
9. संबंधित ....पद **तकनीकी सहायक** पता ....
....
....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर